# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–1143/2019**

भरत भूषण शर्मा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव एवं उपायुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 03.06.2019
**आदेश की दिनांक** : 05.11.2024
**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2019 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा 99 कार्मिकों को सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति दी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि उक्त पदोन्नति आदेश पारित किये जाने से पूर्व वरिष्ठता सूची दिनांक 28.09.2018 को ध्याम में नहीं रखा गया। इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश क्रमांक 654 दिनांक 28.02.2019 को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा 156 कार्मिकों की पदोन्नति स्थगित रखी गयी है एवं अपीलार्थी ने आदेश क्रमांक 655 दिनांक 28.02.2019 को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा 6 कार्मिकों की पदोन्नति सील बन्द लिफाफे में रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पुनः डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची दिनांक 28.09.2018 के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाए।
2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को

यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 8 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**